न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 04 / 2024

पीठासीन अधिकारी – श्री सूरजभान विश्नोई, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131, 136 रा.भू.रा.अ.

अनवान –

1. चान्दाराम उर्फ समन्द पुत्र मकाराम उर्फ मानाराम
   जाति सुथार, निवासी ईटादिया तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर

बनाम

1.अनोपाराम पुत्र उतमाराम 2.इन्द्रादेवी पत्नि उतमाराम 3.करनाराम पुत्र रावताराम 4.खेताराम पुत्र मानाराम 5.चूनाराम पुत्र रावताराम 6.जेती पत्नि रावताराम 7.धनाराम पुत्र रावताराम 8.पदमाराम पुत्र सरदाराराम 9.मांगीलाल पुत्र उतमाराम 10.रामाराम पुत्र सरदाराराम 11.विरधाराम 12.हड़ूमानराम पि.उतमाराम, जाति सुथार, निवासी ईटादिया, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर
13.तहसीलदार एवं उपपंजीयक धनाऊ

अधिवक्तागण –

प्रार्थी :–	**श्री मीठू खान समेजा**
विप्रार्थीगण :–	**एकतरफा**

निर्णय

दिनांक :– 18.07.2024

प्रार्थी के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी का पैतृक खातेदारी का खेत तहसील धनाऊ के पटवार क्षेत्र ईटादिया के मौजा ईटादिया में खसरा सं. 1019 / 688 रकबा 07.6000 हैक्टयर का आया हुआ है।

जिसमे प्रार्थी का नाम चान्दाराम पुत्र मकाराम के स्थान पर समन्द पुत्र मानाराम दर्ज कर दिया गया। क्योंकि घरेलू बोलचाल की भाषा में चान्दाराम उर्फ समन्द पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.08.20 11:15:37 IST
Reason: SelfAttested

मकाराम उर्फ मानाराम बोला जाता था, जिससे राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम समन्द पुत्र मानाराम इन्द्राज करवा दिया गया जो वास्तविक नाम से भिन्न है।

प्रार्थी के विभिन्न सरकारी दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम चान्दाराम पुत्र मकाराम दर्ज है। इसलिए प्रार्थी उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में अपना नाम समन्द पुत्र मानाराम के स्थान चान्दाराम पुत्र मकाराम दुरस्त करवाना चाहता है, जिस हेतु आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/रजि.नोटिस तलब किया गया तथा तहसीलदार धनाऊ से नाम दुरस्ती की रिपोर्ट मंगवाई गई। विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया, अतः विप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी के नाम दुरस्ती की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार धनाऊ द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का दर्ज नाम समन्द पुत्र मानाराम के स्थान पर चान्दाराम पुत्र मकाराम दुरस्त किया जाना प्रस्तावित किया ।

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील की बहस सुनी गई। बहस पर मन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करने योग्य है।

अतः प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 RLR Act का स्वीकार किया जाकर तहसील धनाऊ के पटवार क्षेत्र ईटादा के मौजा ईटादिया में खसरा सं. 1019/688 रकबा 07.6000 हैक्टयर में दर्ज प्रार्थी का नाम समन्द पुत्र मानाराम के स्थान पर चान्दाराम पुत्र मकाराम दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो, संख्या से एक कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.08.20 11:15:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

(सूजरभान विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन